(TO BE PUBLISHED IN PART-IV OF DELHI GAZETTE EXTRA ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI (DEVELOPMENT DEPARTMENT) DIRECTORATE OF AGRICULTURAL MARKETING 49, SHAM NATH MARG, DELHI – 110054.

Dated: 18:10:21

NOTIFICATION

No. F 8(02)/2021/DAM/MR/ 2177 In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 36 of the Delhi Agricultural Produce Marketing (Regulation) Act, 1998 (Delhi Act No. 7 of 1999), the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi, hereby nominates the following persons to be the members of the Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi, namely:-

THREE NOMINATED AGRICULTURISTS

1. Sh. Kamal Khan : Member

H.No. C-95, Gali No.-11, North Ghonda, Delhi-110053.

2. Mohd Kadir : Member

H.No. 438, Gali No. 8, New Kardam Puri, Shahdara, Dayalpur, North East, Delhi-110094.

3. Mohd Sultan Ahmad : Member

H.No.-3909, Gali Jagat Cinema, Darya Ganj, New Delhi-110002.

TWO ELECTED TRADERS AND COMMISSION AGENTS

1. Sh. Bilal Ahmed : Member

4026 Gali Khan Khana, Jama Masjid, Urdu Bazar, Delhi-110006.

2. Hazi Nizamuddin Qureshi : Member A-70, Gali No. 7, Near Al-Qureshi Masjid,

Chauhan Bangar, Delhi-110053.

Ly

ONE REPRESENTATIVE OF LOCAL AUTHORITY

 Mrs. Nirmala Kumari, Municipal Councilor Ward No. 53-E (Gokalpuri) A-3, Gokalpuri, Delhi-110094. Member

ONE ELECTED MEMBER OF LICENSED WEIGHMEN AND MEASURERS

1. Sh. Shamiuddin

Member

1154, Gali Sayedwali, Kala Mahal, Daryagunj, Delhi-110002

ONE NOMINATED MEMBER OF DELHI LEGISLATIVE ASSEMBLY

1. Sh. Abdul Rehman, MLA H.No. 715, Gali No. 28, Jaffrabad, Delhi-110053. Member

TWO NOMINATED MEMBERS TO REPRESENT THE INTEREST OF CONSUMER

 Mohammad Saleem
 4112, Urdu Bazar Jama Masjid, Delhi-110006. Member

Haji Meharban Qureshi
 Racquet Court Road, Civil Lines,
 Opp. Delhi Vidhan Sabha,
 Delhi-110054.

Member

The Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi hereby further directs that the Members of the said Marketing Committee shall take charge of their office with effect from the date of the publication of their names in the official Gazette. They shall hold office for a term of three years as provided under section 41 of the said Act.

By order and in the name of the Lt. Governor of the National Capital Territory of Delhi,

Modling

(MADHUP VYAS) SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI No. F 8(02)/2021/DAM/MR/ 2178-2192 Dated:

18.10-24

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

- 1 The Secretary, Ministry of Agriculture, Govt. of India, New Delhi.
- 2 The Agricultural Marketing Advisor to the Govt. of India, Dte. of Marketing & Inspection, NH-IV, Faridabad (Haryana).
- 3 The Principal Secretary to Lt. Governor, Govt. of NCT of Delhi.
- The Principal Secretary, Law, Justice & Legislative Affairs Department, Govt. of NCT of Delhi.
- 5 The Secretary to Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
- 6 The Secretary to Minister (Development), Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 7 The Staff Officer to Chief Secretary, Govt. of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
- 8 The Development Commissioner, Govt. of NCT of Delhi, 5/9 Under Hill Road, Delhi
- 9 The Chairman, Vice-Chairman/All Members of Delhi Agricultural Marketing Board, New Delhi through Secretary, Delhi Agricultural Marketing Board.
- 10 The Director, Deptt. of Information & Publicity, Govt. of NCT of Delhi.
- 11 The Deputy Secretary (GAD), Govt. of NCT of Delhi with the request that the notification may be published in Delhi Gazette (Extra Ordinary) Part-IV and copies of the same may be arranged for this office.
- 12 The Secretary, APMC (MNI), Azadpur, Narela, Najafgarh, Keshopur, Shahdara (Fruit & Vegetable Market), Gazipur Delhi, Fish, Poultry & Egg Marketing Committee, Gazipur, Delhi and Flower Marketing Committee, IFC, Gazipur, Delhi.
- 13 The Hindi Officer, Language Department, Govt. of NCT of Delhi

14 Guard file.

Mady

(MADHUP VYAS) SECRETARY (DEVELOPMENT) GOVT. OF NCT OF DELHI

(दिल्ली असाधारण गजट के भाग—4 में प्रकाशित किए जाने के लिए) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (विकास विभाग) कृषि विपणन निदेशालय 49 शामनाथ मार्ग, पुराना सचिवालय, दिल्ली—110054

दिनांकः 18 10 भी

अधिसूचना

सं एफ 8(02)/2021/डी०ए०एम0/एम0आर0/2177 दिल्ली कृषि उपज विपणन (विनियमन) अधिनियम, 1998 (दिल्ली अधिनियम संख्या 7, 1999) की धारा 36 की उपधारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार एतद् द्वारा निम्नलिखित व्यक्तियों को मछली, मुर्गा एवम अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली के सदस्य मनोनीत करते हैं:-

तीन मनोनित कृषक

 श्री कमाल खान : सदस्य मं0 नं0 सी–95, गली नं0–11, उत्तरी गौंड़ा, दिल्ली–110053.

2. मोहम्मद कादिर : सदस्य मं0 नं0 ४३८, गली नं0 ८, नई करदम पुरी, शाहदरा, दयालपुर, उत्तर दक्षिण, दिल्ली—110094.

3. मोहम्मद सुलतान अहमद : सदस्य मं0 नं0-3909, गली जगत सिनेमा, दिया गंज, नई दिल्ली-110002.

दो निर्वाचित व्यापारी और आढ़ती

1 श्री बिलाल अहमद : सदस्य 4026 गली खान खाना, जामा मस्जिद, उर्दू बाजार, दिल्ली–110006

2 हाजी निजामुद्दीन कुरैशी : सदस्य ए–70, गली नं0 7, नियर अल–कुरैशी मस्जिद, चौहान बांगर, दिल्ली–110053.

Long

एक प्रतिनिधी स्थानीय प्राधिकरण

1 श्रीमित निर्मला कुमारी, निगम पार्षद वार्ड नं0 53—ई (गोकलपुरी) ए—3, गोकलपुरी, दिल्ली—110094.

सदस्य

एक निर्वाचित सदस्य माप व तौल वर्ग

श्री समयूददीन
 1154, गली सैययद वाली, कला महल, दिरयागंज,
 दिल्ली–110002.

सदस्य

एक मनोनित सदस्य दिल्ली विधानसभा

1 श्री अब्दुल रहमान, विधायक मं0 नं0 715, गली नं0 28, जाफराबाद, दिल्ली—110053.

सदस्य

दो मनोनित सदस्य उपभोक्ता हितकर वर्ग

मोहम्मद सलीम
 4112, उर्दू बाजार जामा मस्जिद,दिल्ली–110006.

सदस्य

हाजी मेहरबान कुरेशी
 रेसकोट कोर्ट रोड़, सिविल लाईनस,
 ऑपोजिट दिल्ली विधान सभा,दिल्ली–110054.

सदस्य

इसके अतिरिक्त, उप-राज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, उपरोक्त मंडी समिति के सदस्यों को, इनके नाम सरकारी गजट में प्रकाशित होने की तिथि से कार्यभार संभालने का निर्देश देते है। जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा 41 में दिया गया है, इन सदस्यों का कार्यकाल तीन साल का होगा।

> उपराज्यपाल राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के नाम से तथा उनके आदेश पर,

> > र्जार्जुज (मधुप व्यास) सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

सं एफ 8(02)/2021/डी०ए०एम०/एम०आर०/2178 — 2192

दिनांकः 1910 प

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1 सचिव, कृषि मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
- 2 कृषि विपणन सलाहकार, भारत सरकार, विपणन और निरीक्षण निदेशालय, एन.एच.४, फरीदाबाद (हरियाणा)।
- 3 प्रधान सचिव, उपराज्यपाल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 4 प्रधान सचिव, विधि, न्याय एवं विधायी विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 5 सचिव, मुख्य मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 6 सचिव, मंत्री (विकास), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 7 स्टाफ अधिकारी, मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली सचिवालय, नई दिल्ली।
- 8 विकास आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, 5/9, अण्डर हिल रोड, दिल्ली।
- 9 अध्यक्ष, उपाध्यक्ष / सभी सदस्य, दिल्ली कृषि विपणन परिषद, सचिव, दिल्ली कृषि विपणन परिषद के माध्यम से।
- 10 निदेशक, सूचना एवम् प्रचार निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 11 उप—सचिव (सा.प्र.वि.), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार इस अनुरोध के साथ कि अधिसूचना दिल्ली राजपत्र (असाधारण) भाग—4 में प्रकाशित की जाए और इस कार्यालय के लिये इसकी प्रति उपलब्ध कराई जाए।
- 12 सचिव, कृषि उपज विपणन समिति (राष्ट्रीय महत्व की मंडी), आजादपुर, नरेला, नजफगढ़, केशोपुर और शाहदरा (फल व सब्जी मण्डी), गाजीपुर, दिल्ली, मछली, मुर्गा एवम् अण्डा विपणन समिति, गाजीपुर, दिल्ली, एवम पुष्प विपणन समिति, आई.एफ.सी., गाजीपुर, दिल्ली।
- 13 हिन्दी अधिकारी, भाषा विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, दिल्ली।
- 14 गार्ड फाईल।

्रसम्पूर्प (मधुप व्यास) सचिव (विकास) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार